

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फरुखबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : ०४ नवम्बर, 2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में बाढ़ एवं दैवीय आपदा राहत निधि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-445/सी०आर०एफ०/दैवी आपदा-सार्व० परि०/ 2011, दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित परियोजनाओं के लिये बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन क्रमशः रु० 86,82,000/- (रूपये छियासी लाख बयासी हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० सं०	विभाग का नाम	योजना का नाम	लागत धन० (लाख रु० में)	स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)
1	लो०नि०वि० (प्रान्तीय खण्ड)	विकास खण्ड कमालगंज के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 मे हुयी अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण मार्गों में हुये कटान को भरने एवं ईट खंडजे का कार्य।	7.85	7.85
2	लो०नि०वि० (निर्माण खण्ड)	बाढ़ के कारण राजेपुर ब्लाक में स्थित मार्गों का यातायात संचालन हेतु मिट्टी एवं खंडजे का कार्य।	15.58	15.58
3		बाढ़ के कारण कायमगंज ब्लाक में स्थित मार्गों का यातायात संचालन हेतु मिट्टी एवं खंडजे का कार्य।	5.26	5.26
4		बाढ़ के कारण शमशाबाद ब्लाक में स्थित मार्गों का	19.90	19.90

		यातायात संचालन हेतु मिट्टी एवं खंडजे का कार्य।		
5	सिंचाई विभाग	अमृतपुर तहसील के ग्राम बलीपट्टी की गंगा नदी (सोत) से क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षा कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य	19.95	19.95
6		अमृतपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम भटौली पर क्षतिग्रस्त कड़कका तटबंध किमी 0 6.425 से 7.450 तक की पर्नुस्थापना का कार्य	18.28	18.28
		कुल योग		86.82

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीषक "2245–प्राकृतिक–विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या–जी0आई0–134 / 1–11–2007–46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 एवं उसके साथ संलग्न भारत सरकार की गाईड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों एवं शासनादेश संख्या–2785 / 1–10–2011–12(73) / 2008 दिनांक 14–10–2011 के अनुसार ही किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या–3253 / 1–10–2010–12(73) / 2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 के अनुसार मण्डल स्तरीय राहत समिति की स्वीकृति शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध करा दी जाय।

5. आपदा राहत निधि की धनराशि से बाढ़/अति वृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स की मद संख्या–18 के अधीन क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्यों पर धनराशि की आवश्यकता का निर्धारण करते हुये विभागीय मानकों एवं लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग के शेड्यूल रेट के अनुसार व्यय की जायेगी। कार्य की सतत निगरानी/गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्कफोर्स भी गठित करेंगे, जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्कफोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाईड लाईन्स तथा मानक के अनुरूप जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाईड लाईन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जिलाधिकारी यह भी

सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निरीक्षण आख्या तथा जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुये पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करायें।

6. जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य, जो आपदा राहत निधि के लिये लागू शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिनकी कुल लागत ₹0 20 लाख से अधिक न हो, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राहत समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। यदि प्रस्तावित कार्य की लागत ₹0 20 लाख से अधिक, परन्तु ₹0 1 करोड़ से अधिक हो, तो कार्य के अनुमोदन हेतु मण्डल स्तरीय राहत समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमोदनोपरान्त मण्डलायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न जनपदों के लिये शासनदेश संख्या 3253/1-10-2010-12(73)/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का सम्बन्धित जनपदों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आपदा राहत निधि की धनराशि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

8. तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा। अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची माननीय जन-प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृति उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई है।

10. बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा जिला स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

11. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

संख्या :4128(1) / 1-10-2011-33(374) / 2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2. मण्डलायुक्त, कानपुर।

3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी राहत आयुक्त कार्यालय।

5. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, फरुखाबाद।

6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

7. राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11।

8. तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राहत वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(२१) ~~मा~~ ३.११.०१.११

(राजेन्द्र प्रसाद)

अनुसचिव ।

म